यूज़र मैन्युअल

मध्य प्रदेश रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम

सीमांकन हेतु

आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया

MAP_IT

देश के सभी नागरिक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन सीमांकन कराने के लिए वेबसाइट **www.rcms.mp.gov.in** पर स्वयं , एम.पी.ऑनलाइन क्योस्क, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट **www.rcms.mp.gov.in** पर जाना होगा जिसका मुख्य पृष्ठ निम्नानुसार प्रदर्शित होगा :-

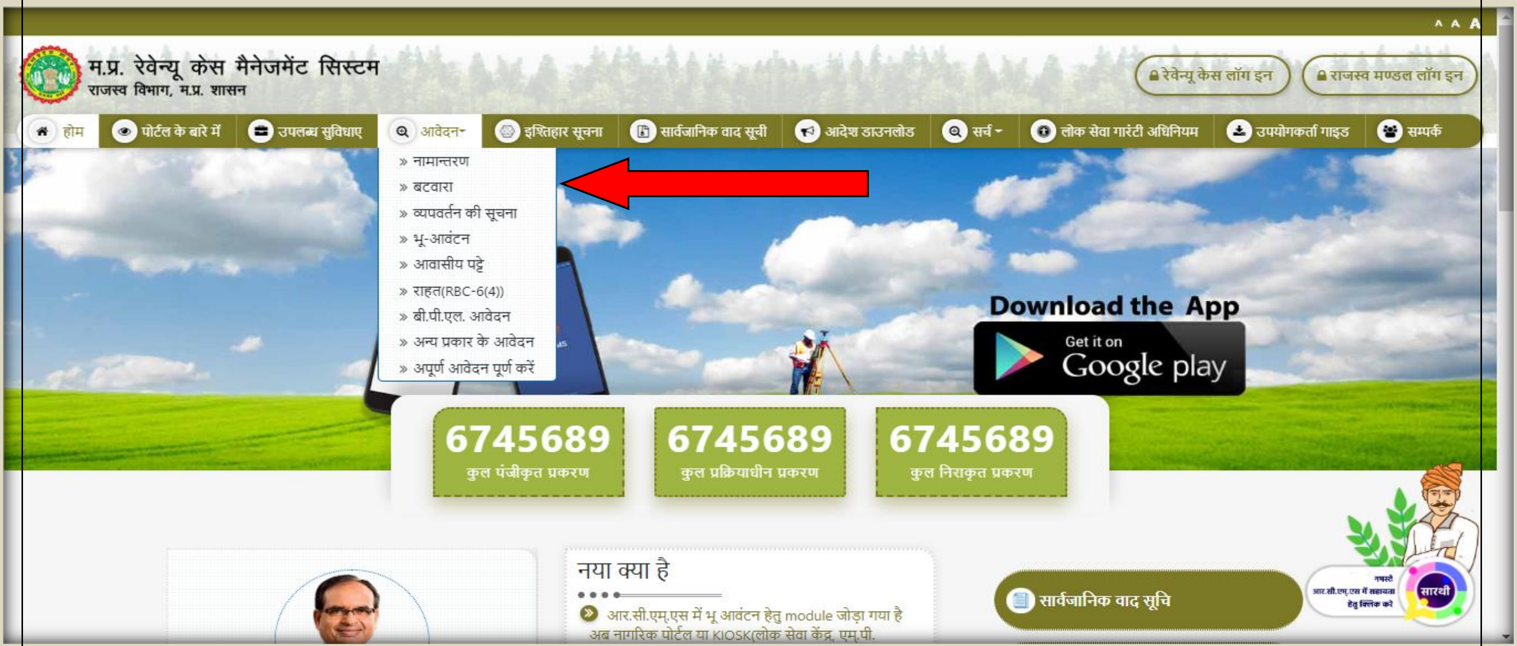

1

आवेदन करने के लिए उपयोगकर्ता को ऊपर दर्शाये गये “**आवेदन करें**” टैब के अंतर्गत “**सीमांकन**” Menu का चयन करना होगा, जिससे नीचे दिखाई गयी विंडो प्रदर्शित होगी :-

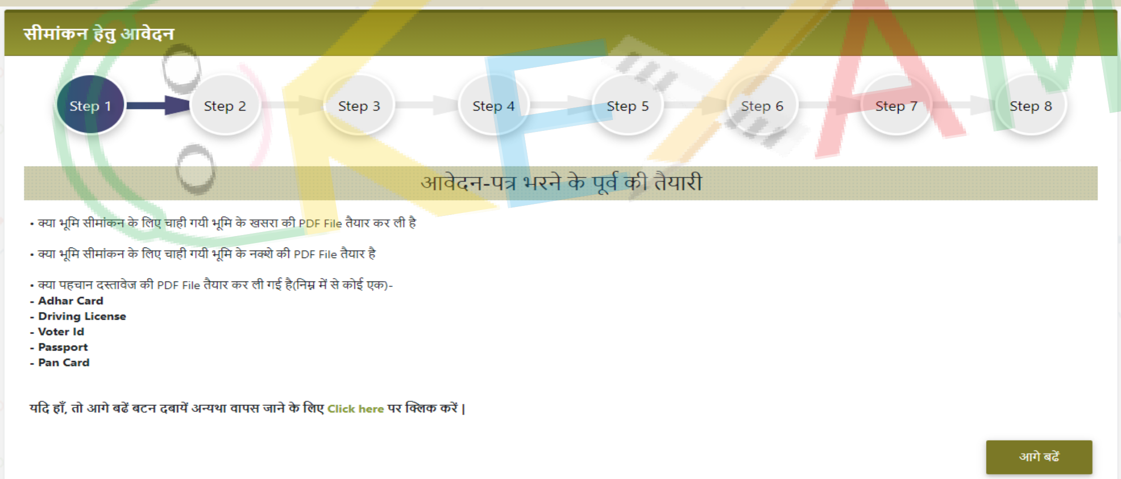

2

Step-1 आवेदक को सीमांकन आवेदन हेतु स्क्रीन -2 में प्रदर्शित आवेदन भरने के पूर्व कि तैयारी की जानकारी दी गई है |

3

Step-2 आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का चयन कर “चयन करें” बटन पर Click करना होगा|

4

खाते में से आवेदक जिस भी खसरे का सीमांकन चाहा गया है उन्हें “हाँ” सेलेक्ट कर “आगे बढ़े” बटन पर click करना होगा |

5

Step-3 आवेदक को स्क्रीन -3 में चाही गई आवेदक कि जानकारी पूर्ण भरनी होगी, आवेदन कर्ता एक साथ एक से अधिक आवेदक का नाम भी दर्ज कर सकता है | आवेदकों कि जानकारी भरने के उपरांत “आगे बढ़े” बटन पर click करना होगा |

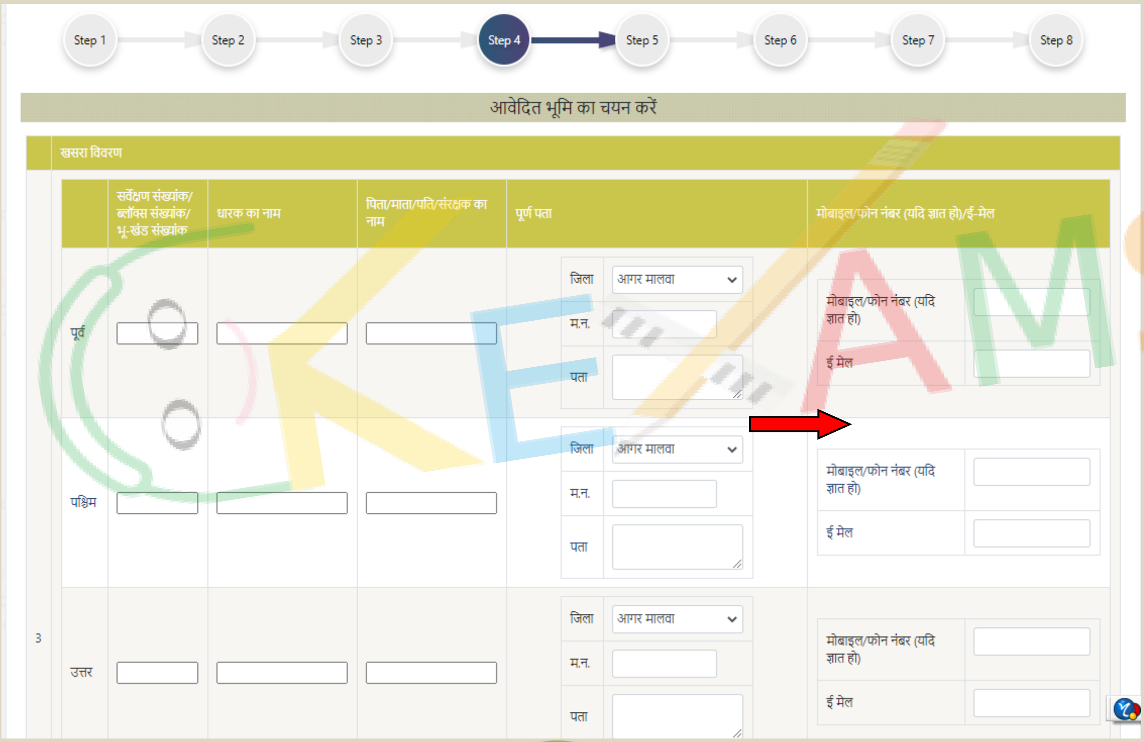

6

Step-4 आवेदक द्वारा सीमांकन के लिए चाही गई भूमि कि चतुर्सीमा का विवरण देना होगा तदउपरांत "आगे बढ़े" बटन पर click करना होगा |

Step-5 – यदि अधिवक्ता कि जानकारी जोड़ना हो तो "हाँ" का चयन करें अन्यथा "नहीं" का चयन करे | उसके बाद न्यायालय में पेशी कि दिनांक का चयन कर "आगे बढ़े" बटन पर click करे |

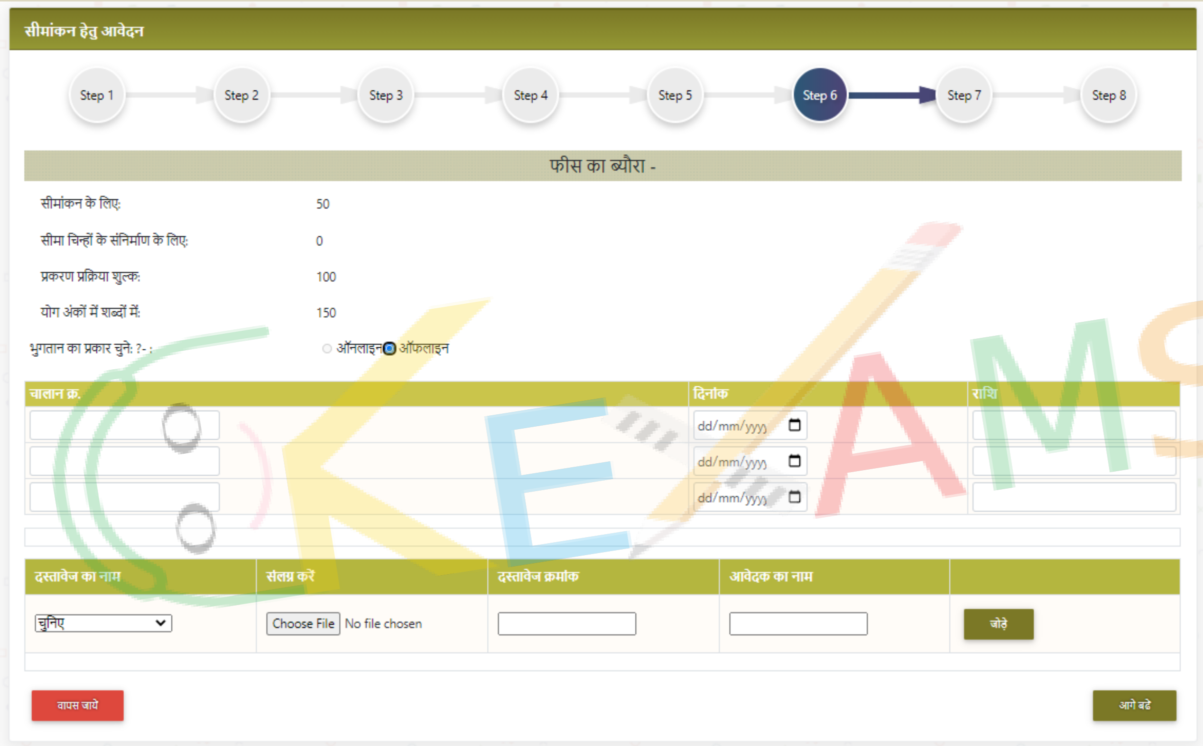

Step-6 – आवेदक को दर्शाये गए अनुसार प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड कराना होंगे |

Step-7 – यूजर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा| यूजर को आवेदन पत्र प्रिंट कर, हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर वापस अपलोड करना होगा |

नीचे दर्शाये अनुसार अपलोड करने के पश्चात् यूजर को “आगे बढें” बटन पर क्लिक करना होगा|

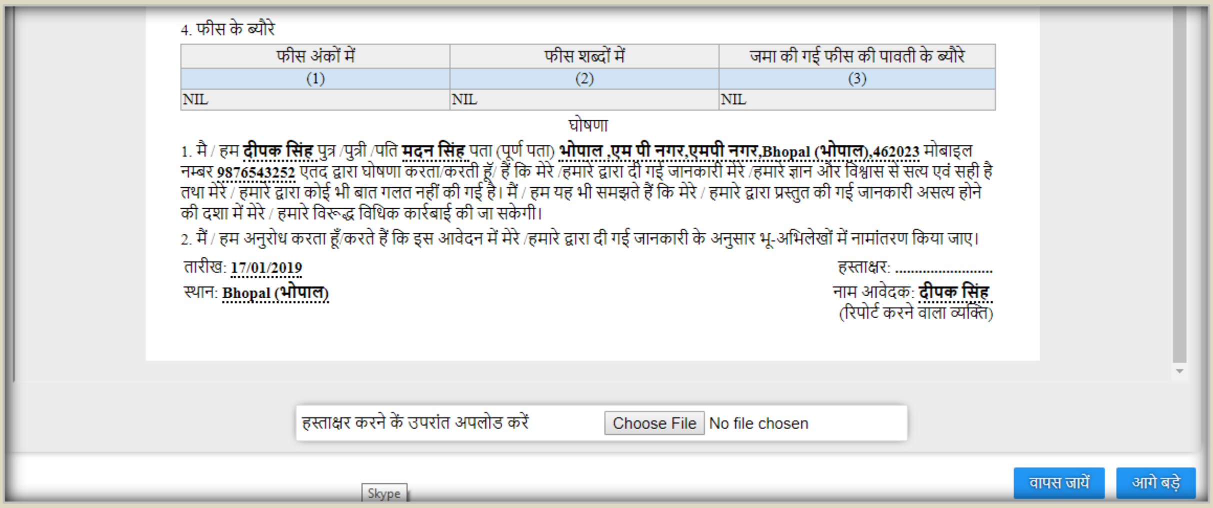

यदि यूजर प्ररूप बाद में स्कैन कर अपलोड करना चाहते है तो उन्हें नीचे दर्शाये अनुसार RCMS पोर्टल (www.rcms.mp.gov.in) पर जाकर “अपूर्ण आवेदन पूर्ण करे” लिंक पर क्लिक करना होगा|

लिंक पर क्लिक करते ही यूजर को नीचे दर्शाये अनुसार स्क्रीन प्रस्तुत होगी जिसमे उन्हें आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं कैप्चा कोड प्रविष्ट करना होगा|

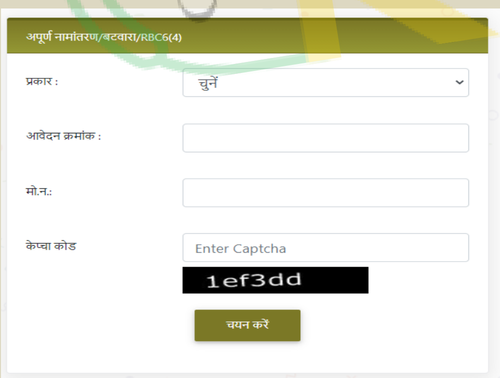

इसके पश्चात् यूजर हस्ताक्षरित प्ररूप अपलोड कर सकते हैं |

यदि आवेदन प्ररूप अपलोड कर दिया है तो “आगे बढें” बटन पर क्लिक करते ही यूजर के समक्ष स्टेप - 8 प्रदर्शित की जाएगी|

Step-8 – स्टेप-8 में यूजर को नीचे दर्शाये अनुसार आवेदन की पावती दी जायेगी| आवेदक पावती को प्रिंट करके रख सकते है| इसके पश्चात् यूजर को नीचे दर्शाये अनुसार आवेदन जमा करे बटन पर क्लिक करना होगा| जमा करें बटन पर क्लिक करते ही आवेदन सम्बन्धी राजस्व न्यायालय में पहुँच जायेगा |

8

आवेदन जमा करने के पश्चात यूजर को नीचे दर्शाये अनुसार अपनी रेटिंग एवं फीडबैक सबमिट करना होगा|

फीडबैक सबमिट करते ही सीमांकन के आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी |

धन्यवाद!